

कार्यालय,
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक २५६ / १५(२) अल्मोड़ा दिनांक ९-७-२०२४

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में घुघुति-कैलानी-मसमोली मोटर मार्ग के निर्माण के सापेक्ष डिमाण्ड नोट के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० 21752/2016)

सन्दर्भ- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1327/12-1 दिनांक 06.01.2024।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन०पी०वी० की धनराशि नयी दरों पर जमा की जानी है। भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन०पी०वी० की नई दरों के अनुसार देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

1. ईको-क्लास श्रेणी	=	Vth
2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.3 (30%)
3. एन०पी०वी० की दर (प्रति है०)	=	10,05,210.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०)	=	1.044
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	=	10,49,439.00
6. पूर्व में जमा एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	=	6,85,908.00
7. अतिरिक्त जमा की जाने वाली धनराशि (रुपये)	=	3,63,531.00

कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रुपये में) 3,63,531.00 (तीन लाख तिरसठ हजार पांच सौ इक्कतीस रुपये) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक २५६ / १५(२) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रदेश प्रमुख
उक्त में N.P.V.
में Demand Note
व्यवस्था
Aulav

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।